

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी:-श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम-करमावास

राजस्व आवेदन संख्या :-111/2025

प्रार्थी:-

रामलाल पुत्र धुडाराम जाति जटिया निवासी करमावास तहसील
समदड़ी जिला बालोतरा हाल जटिया वास, रामदेव मंदिर के
नजदीक सिरोही

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला
बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956

उपस्थित:- श्री गणपतसिंह
प्रार्थी वकील

--: आदेश ::--

दिनांक :-20.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त
खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 381 रकबा 01.8461 हैक्टेयर ग्राम
करमावास तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर
काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात-यथा आधार
कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम रामलाल ही अंकित है, किन्तु विवादित
भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर
'रामाराम' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी
भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः
प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की
गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक-ग्रा.से.शि./2025/165 दिनांक
20.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट
प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड आदि प्रस्तुत
किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम
रामलाल है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम रामाराम
दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो
गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी
अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि



उपखण्ड अधिका.
सिवाना (बालोतरा).

सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड दस्तावेजात में उनका नाम रामलाल दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम रामलाल होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करमावास के खसरा संख्या 381 रकबा 01.0846 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'रामाराम' के स्थान पर 'रामलाल' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम करमावास में सरे आम सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिधवा सिविलीतरा)